न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0:–81/2016

CIS NO. PS-146/2018

सुभाष राव..वादी

बनाम

विजय राव एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
18.10.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.12.2022 पर सुना। **आदेश (ORDER)** वादी की ओर से अपने आवेदन दिनांक 13.12.2022 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से मौजा सुअरछाप राजस्व थाना 456 का हालसर्वे खाता–85 एवं 86 बनाम गोविन्द राम वगैरह के खतियान की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल किया गया है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी में आते है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उक्त कागजातों की सच्ची प्रतिलिपि को ग्रहण करते हुये प्रदर्श अंकित करने की कृपा करें। इसके लिए वादी श्रीमान् के सदैव आभारी रहेगा। प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन पर नो आब्जेक्श लिखा गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागया को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख वादी साक्ष्य हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादी द्वारा दाखिल दस्तावेज वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादी द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 13.12.	

न्यायालय–मुंसिफ, नरकटियागंज

बंटवारा वाद सं0ः–81/2016

CIS NO. PS-146/2018

सुभाष राव...वादी

बनाम

विजय राव एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **18.10.2024**	2022 को स्वीकार करते हुए दाखिल दस्तावेजों को ग्रहण करते हुए प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 26.11.2024 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	